भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2542
(04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2542. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:
श्री तमिलसेल्वन थंगा:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को लागू कर रही है जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए पर्याप्त आजीविका के साधनों को सुरक्षित करना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना, जन स्वास्थ्य में सुधार करना और बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएसएपी के तहत तमिलनाडु सहित राज्य-वार कुल कितनी राशि आवंटित और व्यय की गई है; और

(घ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस योजना के तहत तमिलनाडु सहित राज्य-वार कुल कितने नागरिकों को लाभान्वित किया गया है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) एवं (ख): सरकार समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्गों, अर्थात् गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों से संबंधित वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों तथा शोकाकुल परिवारों को आधारभूत स्तर की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का कार्यान्वयन कर रही है। एनएसएपी के अंतर्गत पाँच उप-योजनाएँ, अर्थात् राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन

योजना, राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा अन्नपूर्णा योजना संचालित की जाती हैं।

योजना के अंतर्गत पात्र वृद्धजनों, विधवाओं तथा दिव्यांगजनों को उनके जीवन-निर्वाह के साधनों के पूरक के रूप में तथा सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बीपीएल परिवार के मुख्य आजीविका अर्जक की मृत्यु होने की स्थिति में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत शोकाकुल परिवार को एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत ऐसे पात्र वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, जिन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है। एनएसएपी के अंतर्गत 3.09 करोड़ लाभार्थी समावेशित हैं तथा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए लाभार्थियों की संख्या की योजना-वार अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

(ग): गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एनएसएपी के अंतर्गत जारी की गई निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ): गत पाँच वर्षों के दौरान एनएसएपी के अंतर्गत तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की कुल संख्या (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सीमा) का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

अनुबंध-I

"राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का कार्यान्वयन" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 04.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2542 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(रु करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधि		
		2023-24	2024-25	2025-26
1	आंध्र प्रदेश	407.41	354.49	364.13
2	बिहार	1473.11	1390.68	1472.29
3	छत्तीसगढ	277.54	375.26	237.71
4	गोवा	0.00	0.00	0.00
5	गुजरात	207.11	207.55	153.97
6	हरियाणा	0.00	10.70	39.95
7	हिमाचल प्रदेश	90.19	0.00	105.19
8	झारखंड	276.59	324.79	335.77
9	कर्नाटक	450.52	113.93	631.12
10	केरल	602.14	131.24	346.82
11	मध्य प्रदेश	827.91	889.77	754.21
12	महाराष्ट्र	0.00	534.13	0.00
13	ओडिशा	685.47	549.53	425.26
14	पंजाब	15.41	22.88	21.88
15	राजस्थान	305.20	608.67	290.04
16	तमिलनाडु	675.95	640.77	440.49
17	तेलंगाना	166.66	0.00	233.45
18	उत्तर प्रदेश	1393.01	1947.38	1543.86
19	उत्तराखंड	89.13	111.85	131.45
20	पश्चिम बंगाल	1003.18	796.40	816.59
उत्तर पूर्वी राज्य				
21	अरुणाचल प्रदेश	9.05	0.00	0.00
22	असम	289.81	319.19	259.22
23	मणिपुर	16.36	21.94	22.62
24	मेघालय	21.69	21.81	22.90
29	मिजोरम	10.62	14.01	6.74

26	नागालैंड	17.15	30.58	31.14
27	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
28	त्रिपुरा	44.00	56.13	55.83
	संघ राज्य क्षेत्र			
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
30	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.00	117.83	65.12
33	जम्मू और कश्मीर	80.01	34.64	35.04
34	लद्दाख	0.00	5.74	1.49
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
36	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00
	कुल	9435.23	9631.89	8844.31

अनुबंध-II

"राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का कार्यान्वयन" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 04.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2542 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष-वार लाभार्थियों की संख्या (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सीमा)	
		2021-22 और 2022-23	2023-24 से 2025-26
1	आंध्र प्रदेश	943567	945886
2	बिहार	3793182	3955306
3	छत्तीसगढ	949940	892943
4	गोवा	21912	13885
5	गुजरात	843333	927648
6	हरियाणा	331423	351410
7	हिमाचल प्रदेश	120156	116689
8	झारखंड	1311109	1291668
9	कर्नाटक	1493909	1414586
10	केरल	692687	850814
11	मध्य प्रदेश	2236789	2254295
12	महाराष्ट्र	1534987	1247954
13	ओडिशा	2062652	2058656
14	पंजाब	252372	140904
15	राजस्थान	1147549	1181880
16	तमिलनाडु	1884654	1939303
17	तेलंगाना	674347	689407
18	उत्तर प्रदेश	5592696	5906697
19	उत्तराखंड	354005	236143
20	पश्चिम बंगाल	2176085	2088825
21	अरुणाचल प्रदेश	34485	6639
22	असम	872830	859055
23	मणिपुर	65764	64640
24	मेघालय	88228	66097
29	मिजोरम	27773	27721

26	नागालैंड	49745	51314
27	सिक्किम	19024	19029
28	त्रिपुरा	162565	155884
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7815	676
30	चंडीगढ़	6337	5044
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	11195	11292
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	164355	157090
33	जम्मू एवं कश्मीर	143477	140717
34	लद्दाख	7406	7260
35	लक्षद्वीप	730	302
36	पुदुचेरी	29040	29088
	कुल	30108123	30106747